



लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/89/2020 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांक:- 18.09.2020
GIS NO.:- 2020/00340


श्री रूपलाल शर्मा पिता डालचन्द मेनारिया निवासी हनुमानजी के मंदिर के पीछे, चंदेरिया
बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

निर्णय

दिनांक 13.10.2020




सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 08.07.2020 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 89/2020/(13.10)/624 दिनांक 18.09.2020 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 13.10.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 13.10.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/375 दिनांक 29.09.2020 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:-




लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)




प्रकरण संख्या 89/2020 (सू.अ.) श्री रूपलाल शर्मा निवासी चंदेरिया बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

1. यह है कि प्रार्थी श्री रूपलाल शर्मा पिता डालचन्द मेनारिया निवासी हनुमान जी के मंदिर के पीछे, चंदेरिया द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 08.07.2020 को प्रस्तुत किया, जो इस कार्यालय को दिनांक 09.07.2020 को प्राप्त होना सही है।
2. यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना के संबंध में स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2521 दिनांक 25.09.2020 से प्रार्थी को अवगत कराया गया। (प्रति, पत्र के साथ संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी को, प्रार्थना पत्र के संबंध में अवगत कराये जाने के पश्चात भी आदिनांक प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं कराये जाने से अब इस प्रकरण पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/375 दिनांक 29.09.2020 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2521 दिनांक 25.09.2020 से उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु लिखा है किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु 30 दिवस की निर्धारित अवधि के भीतर दिनांक 09.08.2020 तक सूचित किया जाना चाहिए था जबकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् दिनांक 25.09.2020 को अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया गया है।




 लोक सूचना अधिकारी
 (राजस्व)
 चित्तौड़गढ़ (राज.)



प्रकरण संख्या 89/2020 (सू.अ.)
श्री रूपलाल शर्मा निवासी चंदेरिया बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने के पश्चात् अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध कराने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है।



(के. के. शर्मा)

लोक सूचना अपील अधिकारी
लोक सूचना अपील (सू.अ.) प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./89/2020(सू.अ.)/ 675
प्रतिलिपि:-

दिनांक:-13/10/2020

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री रूपलाल शर्मा पिता डालचन्द मेनारिया निवासी हनुमानजी के मंदिर के पीछे, चंदेरिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़



लोक सूचना अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)